न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–126/2016 प्रार्थना पत्र

1–श्री जगदीश चन्द्र पिता काना जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–श्री शंकरलाल पिता काना जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–श्री नारायणलाल पिता काना जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–––––प्रार्थीगण

बनाम

1–श्री रूपलाल पिता भूरा जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–श्री रामेश्वर पिता भंवर जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–श्री सुरेश पिता भंवर जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4–समता पुत्री भंवर जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
5–नन्दू पत्नि भंवर जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
6–जमना लाल पिता भागीरथ जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
7–बदाम पुत्री भागीरथ जाट, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
8–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब,भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
9–बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।
––––––विपक्षीगण

––––––––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–––

उपस्थितः–'

–––––––––

1–श्री पृथ्वीराज चौधरी – एडवोकेट–प्रार्थीगण

:: नि र्ण य :: दिनांकः–19.2.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी हक व अधिकार की ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2172 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 2173 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 2174 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित हैं। प्रार्थीगण चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में आने–जाने का एक मात्र रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 2195 से होकर विपक्षी संख्या 1 से 7 की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

से होती हैं। तथा आराजी नम्बर 2176 के पूर्वी मेड से होकर तथा आराजी नम्बर 2176 के पश्चिमी मेड से होकर आते–जाते आ रहे हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2068 से 2071 तथा 2069 से 2072 से होती हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात में विपक्षीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 2176 व 2175 तथा आराजी नम्बर 2192 में से होकर आ–जा रहे हैं। जिसकी ताईद पर्चा मौका व नक्शा ट्रेस से होती हैं। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात में आने–जाने का सरलतम, सुगम व कदीमी रास्ता मात्र आराजी नम्बर 2176 के पश्चिमी मेड एवं 2171 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे होकर अपनी आराजी नम्बर 2172 के उत्तरी पूर्वी कोने पर पहुँच कर अपने खते में प्रवेश करता हैं। जिसका क्षैत्रफल 15 फीट चौड़ा रास्ता हैं। जिसकी ताईद पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 22.5.2016 से होती हैं। विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में न तो जवाब प्रस्तुत किया और न कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किये। केवल मात्र आपत्ति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवसर चाहा गयां।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 2172 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 2173 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 2174 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर आने–जाने हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 2192 से होकर विपक्षी संख्या 1 से 7 की आराजी नम्बर 2176 के पश्चिमी मेड व आराजी नं0 2175 के पूर्वी मेड से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता में आने वाले भूमि का रकबा जो प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार क्षैत्रफल ज्ञात करते हुये आने वाले क्षैत्रफल को रकबा में परिवर्तित करते हुये डी. एल.सी. की दुगुनी राशि के आधार पर राशि की गणना करते हुये आने वाली राशि का जरिये डी.डी. के माध्यम से विपक्षीगण को भुगतान करें। विपक्षीगण को भुगतान होने पर रास्ते में आने वाली भूमि को बिलानाम दर्ज करते हुये विपक्षीगण के खाते से कम की जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुये नक्शे में तरमीम की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार, भीलवाड़ा को भिजवाते हुये लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

आज दिनांक 19.2.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner